न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी रिया डाबी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 113/2021 वाद GCMS No. 2021/236

श्री ओमप्रकाश पिता श्री रामलाल जी बागड़ी निवासी मकान नम्बर 17 भोपामगरी, मैन रोड़, सेक्टर नम्बर 3 हिरणमगरी उदयपुर

..............वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर उदयपुर।
2. नगर विकास प्रन्यास उदयपुर जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास उदयपुर।
3. श्रीमती कांता देवी पत्नि श्री रमेश कुमार जी तलेसरा जरिये तलेसरा टेन्ट हाऊस पानेरियो की मादड़ी मैन रोड़ हिरणमगरी उदयपुर।
4. श्री हिम्मतलाल पिता श्री मथुरालाल जी मेनारिया निवासी पानेरियो की मादड़ी उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
5. श्री सुखलाल पिता श्री मथुरालाल जी मेनारिया निवासी पानेरियो की मादड़ी उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
6. श्री दुर्लभराम पिता श्री मथुरालाल जी मेनारिया निवासी पानेरियो की मादड़ी उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
7. श्री बंशीलाल पिता श्री मथुरालाल जी मेनारिया निवासी पानेरियो की मादड़ी उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
8. श्रीमती टांकुबाई बेवा श्री मथुरालाल जी मेनारिया निवासी पानेरियो की मादड़ी उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
9. श्री वरदीचन्द पिता श्री काशीराम जी मेनारिया निवासी पानेरियो की मादड़ी उदयपुर।
10. श्री मोहनलाल पिता श्री काशीरामजी मेनारिया निवासी पानेरियो की मादड़ी उदयपुर।
11. श्री देवीलाल पिता श्री शंकरलाल मेनारिया ब्राह्मण निवासी पानेरियो की मादड़ी उदयपुर।
12. श्री टेकचन्द पिता श्री शंकरलाल मेनारिया ब्राह्मण निवासी प्लॉट नम्बर 22 स्वामीनगर पानेरियो की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
13. श्री कन्हैयालाल पिता श्री शंकरलाल मेनारिया निवासी प्लॉट नम्बर 22 स्वामीनगर पानेरियो की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
14. श्री भूरीलाल पिता श्री शंकरलाल मेनारिया निवासी प्लॉट नम्बर 22 स्वामीनगर पानेरियो की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
15. श्रीमती हेमलता पत्नि श्री भरत किशोरजी सुहालका निवासी 36 न्यू स्वामीनगर पानेरियो की मादड़ी उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
16. श्री सनत कुमार पिता श्री भगवानदासजी गांधी निवासी मकान नम्बर 33–34 स्वामी नगर पानेरियो की मादड़ी उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
17. श्री नरेन्द्र कुमार पिता श्री रतनलालजी धींग निवासी पानेरियो की मादड़ी उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
18. श्री दिलीप कुमार पिता श्री मोहन लाल जैन निवासी 53 डोरे नगर उदयपुर

........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. वादी अधिवक्ता बजरंग प्रसाद शर्मा
2. पैरोकार सरकार कल्पित जैन
3. श्री दिलीप सुथार अधिवक्ता नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर
प्रकरण सख्या 113/2021 वाद
अनवान ओमप्रकाश बनाम सरकार
2021/236 निर्णय वाद अन्तर्गत धारा 188 RTA

निर्णय

दिनांक : 04.12.2024

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि राजस्व ग्राम मादड़ी पानेरियान, उदयपुर में आराजी नम्बर 581 रकबा 0.0500 हैक्टर एवं आराजी नम्बर 582 रकबा 0.0600 हैक्टर भूमि स्थित है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 से लगायत 18 के नाम पर संयुक्त खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 से लगायत 18 के बीच आपसी विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से में संलग्न नक्शे में अंकित भुखण्ड आया है। जिसको लाल रंग से दर्शाया जाकर जिसकी लम्बाई उत्तर से दक्षिण 120 फीट एवं चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 48 फीट 6 इंच है। जिसका कुल क्षेत्रफल 5820 वर्गफीट है। उक्त भूखण्ड के चारों तरफ वादी ने पक्की सीमेन्ट पत्थर की बाउण्ड्रीवाल बना रखी है तथा भूखण्ड के दक्षिणी पूर्वी कोने पर एक पक्का कमरा बना रखा है। जो 12X12 फीट का होकर कुल क्षेत्रफल 144 वर्गफीट है। इस भूखण्ड के उत्तर दिशा में भूमि की सिंचाई हेतु एक पक्की बावड़ी स्थित है जिससे इस कृषि भूमि की सिंचाई होकर वादी द्वारा इसमें काश्त की जा रही है। इस भूखण्ड में 3 विशाल आम के पुराने वृक्ष खड़े है तथा बावड़ी पर बिजली की मोटर लगी हुई है। उदयपुर शहर के विकास हेतु प्रतिवादी संख्या 2 नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा सबसिटी सेन्टर से आई.डी.एस.एम.टी. रोड़ को जोड़ने वाली एक 100 फीट चौड़ी लिंक रोड के निर्माण की योजना बनाई गई है। तथा उसके लिए सबसिटी सेन्टर से उक्त रोड़ को जोड़ने वाली इस लिंक रोड़ में आने वाली भूमि के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव बना कर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 राजस्थान सरकार को भिजवाये गये है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर वादी के उक्त भूखण्ड में से 5820 वर्गफीट में से 1500 वर्गफीट भूमि ही 100 फीट चौड़ी सड़क में जा रही है तथा शेष 4320 वर्गफीट सड़क से बाहर होकर बच रही है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उक्त पुरा भूखण्ड जिसका क्षेत्रफल 5820 वर्गफीट है सड़क में लिया जा रहा है। वादी वादग्रस्त भूमि का मालिक एवं खातेदार है तथा उक्त भूखण्ड उसके आधिपत्य में होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहा है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को आराजी नम्बर 581 एवं 582 के जूज हिस्से जिसकी लम्बाई 120 फीट एंव चौड़ाई 36 फीट होकर क्षेत्रफल 4320 वर्गफीट है के बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण माननीय न्यायालय भू–पबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर से तनकीवार विवेचन कर निर्णय पारित करने हेतु पुनः प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद स्वीकार करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तर्क किया गया कि उक्त आराजीयात पर वर्तमान में मकानात बने हुए है तथा उक्त आराजीयात वर्तमान में विपक्षी संख्या 2 के खातेदारी दर्ज है। जिससे वादी प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार गिर्वा से मौके एवं रिकार्ड की रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गिर्वा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि उक्त आराजी संख्या 581 एवं 582 वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम खातेदारी दर्ज है तथा आराजी संख्या 582 वर्तमान में किस्म आवासीय भूमि दर्ज रिकोर्ड है तथा मौके पर मकानात बने होकर लोग निवासरत है तथा आशिंक भाग रोड़ में स्थित है।

तहसीलदार गिर्वा से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वर्तमान में उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 2 के खातेदारी में दर्ज है तथा आराजी संख्या 582 किस्म आवासीय दर्ज रिकार्ड है तथा तहसीलदार गिर्वा रिपोर्ट अनुसार मौके पर वर्तमान में मकानात बने होकर वादग्रस्त आराजीयात का आवासीय उपयोग किया जा रहा है तथा वर्तमान में उक्त आराजीयात की किस्म कृषि भूमि भी नहीं रही है जो कि तहसीलदार रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत गुगल मैप से भी स्पष्ट है। उपरोक्त विवेचन के पश्चात न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान कृषि भूमि नहीं होकर आवासीय भूमि हो चुकी है तथा आवासीय भूमि के सम्बध में वाद सुनने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से वादी का वाद खारिज होने योग्य है तथा वादी चाही गई दाद सक्षम सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दाद प्राप्त कर सकता है।

अतः वादी का वाद इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रिया डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा–उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर
प्रकरण सख्या 113/2021 वाद
अनवान ओमप्रकाश बनाम सरकार
2021/236 निर्णय वाद अन्तर्गत धारा 188 RTA

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रिया डाबी, आई.ए.एस. मुकद्मा 113/2021 सन 2021 सीगह वाद ओमप्रकाश बनाम राजस्थान सरकार वगैरह वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रिया डाबी, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी अधिवक्ता बजरंग प्रसाद शर्मा, पैरोकार सरकार कल्पित जैन, दिलीप कुमार सुथार अधिवक्ता नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :–

वादी का वाद इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं होने से खारिज किया जाता है।

और इस वाद के खर्चे लेखे ....रुपये की राशि...............आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ....द्वारा ....को दी जाए।

यह आज तारीख .... माह .... सन् .... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश ....

पद ....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी रिया डाबी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 113/2021 वाद GCMS No. 2021/236

श्री ओमप्रकाश पिता श्री रामलाल जी बागड़ी निवासी मकान नम्बर 17 भोपामगरी, मैन रोड़, सेक्टर नम्बर 3 हिरणमगरी उदयपुर

..............वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर उदयपुर।
2. नगर विकास प्रन्यास उदयपुर जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास उदयपुर।
3. श्रीमती कांता देवी पत्नि श्री रमेश कुमार जी तलेसरा जरिये तलेसरा टेन्ट हाऊस पानेरियो की मादड़ी मैन रोड़ हिरणमगरी उदयपुर।
4. श्री हिम्मतलाल पिता श्री मथुरालाल जी मेनारिया निवासी पानेरियो की मादड़ी उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
5. श्री सुखलाल पिता श्री मथुरालाल जी मेनारिया निवासी पानेरियो की मादड़ी उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
6. श्री दुर्लभराम पिता श्री मथुरालाल जी मेनारिया निवासी पानेरियो की मादड़ी उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
7. श्री बंशीलाल पिता श्री मथुरालाल जी मेनारिया निवासी पानेरियो की मादड़ी उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
8. श्रीमती टांकुबाई बेवा श्री मथुरालाल जी मेनारिया निवासी पानेरियो की मादड़ी उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
9. श्री वरदीचन्द पिता श्री काशीराम जी मेनारिया निवासी पानेरियो की मादड़ी उदयपुर।
10. श्री मोहनलाल पिता श्री काशीरामजी मेनारिया निवासी पानेरियो की मादड़ी उदयपुर।
11. श्री देवीलाल पिता श्री शंकरलाल मेनारिया ब्राह्मण निवासी पानेरियो की मादड़ी उदयपुर।
12. श्री टेकचन्द पिता श्री शंकरलाल मेनारिया ब्राह्मण निवासी प्लॉट नम्बर 22 स्वामीनगर पानेरियो की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
13. श्री कन्हैयालाल पिता श्री शंकरलाल मेनारिया निवासी प्लॉट नम्बर 22 स्वामीनगर पानेरियो की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
14. श्री भूरीलाल पिता श्री शंकरलाल मेनारिया निवासी प्लॉट नम्बर 22 स्वामीनगर पानेरियो की मादड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
15. श्रीमती हेमलता पत्नि श्री भरत किशोरजी सुहालका निवासी 36 न्यू स्वामीनगर पानेरियो की मादड़ी उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
16. श्री सनत कुमार पिता श्री भगवानदासजी गांधी निवासी मकान नम्बर 33–34 स्वामी नगर पानेरियो की मादड़ी उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
17. श्री नरेन्द्र कुमार पिता श्री रतनलालजी धींग निवासी पानेरियो की मादड़ी उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर।
18. श्री दिलीप कुमार पिता श्री मोहन लाल जैन निवासी 53 डोरे नगर उदयपुर

........प्रतिवादीगण